खाद्य सुरक्षा प्रकरण संख्या 126/2024
सरकार जरिये भूराराम गोदारा खाद्य सुरक्षा अधिकारी पाली बनाम वजाराम

न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,बाली

पीठासीन अधिकारी : जितेन्द्र कुमार पाण्डे आर.ए.एस.

खाद्य सुरक्षा प्रकरण संख्या : 126/2024
जी.सी.एम.एस. नम्बर : 2024/140

सायल :	बनाम	गैरसायल :
भूराराम गोदारा खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी पाली		वजाराम पुत्र जीवाराम मैसर्स विनायक मैसर्स विनायक दुध डेयरी कचहरी रोड़ बाली जिला–पाली राज.

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2(2) एफ.एस.एस.एस.ए एक्ट, 2006 विनियम 2011 एवं धारा 51

उपस्थिति : गैरसायल स्वयं एवं अधिवक्ता गैरसायल

–:निर्णय:–

दिनांक: 01.05.2024

आवेदक द्वारा यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत जुर्मदफा 26(2)(ii)/खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं धारा 51 के अन्तर्गत विरुद्ध गैरसायल दिनांक 29.05.2023 को प्रस्तुत किया गया है। राजस्व(ग्रुप–2) विभाग जयपुर की आज्ञा क्रमांक प.7(15)राज/2022 दिनांक 25.05.2022 की अनुपालना में श्रीमान् अतिरिक्त जिला कलक्टर महोदय, पाली के पत्रांक/कोर्ट/एडीएम/2023/24 दिनांक 10.01.2024 के द्वारा स्थानान्तरित होकर इस न्यायालय को प्राप्त हुई प्रकरण दर्ज कर पक्षकारान् को सूचित किया गया। नियत दिनांक 01.05.2024 को गैर सायल उपस्थित। इस्तगासा की नकल देते हुए गैरसायल को इस्तगासा में अंकित आरोप सुनाये गये कि दिनांक 13.02.2023 को 03.00 पी.एम. बजें भूराराम गोदारा खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,पाली मैसर्स विनायक दूध डेयरी कचहरी रोड़ बाली पर पहूंचकर निरीक्षण किया गया। दौराने निरीक्षण/जांच गैरसायल की डेयरी पर एक फ्रिज में लगभग 50 लीटर भैंस का दूध भरा हुआ था। जिसे वजाराम आम जनता को विक्रय हेतु रखे हुए पाये गये। मिलावट का संदेह होने पर नियमानुसार मौके पर नमूना लेने की इच्छा जाहिर करते हुए फॉर्म नम्बर 5A भरकर स्वतंत्र गवाह की तलाश की किन्तु मौके पर कोई गवाह मौजुद नहीं होने पर मेरे साथ आए आनन्द कुमार, खाद्य सुरक्षा अधिकारी को गवाह बनाकर हस्ताक्षर करवाये व मेरे द्वारा हस्ताक्षर कर इस फॉर्म की एक प्रति डेयरी मालिक श्री वजाराम पुत्र जीवाराम को देकर यह सूचित किया कि उक्त नमूना वास्ते सरकारी जांव हेतु क्रय किया गया है।

डेयरी के फ्रिज में रखें भैंस के दूध को अच्छी तरह से हिला मिला कर एक स्पकर में से 02 किलो वास्ते जांच हेतु खरीदा, जिसका नकद भूगतान अक्षरें एक सौ बीस रुपये का जरिये रसीद के किया गया। उक्त भैंस के दूध को चार साफ, सुखी एवं खाली कंटेनर में बराबर मात्रा में भरकर प्रत्येक कंटेनर में 40–40 बुंद फोरमेलिन बतौर प्रिजरवेटिव डालकर उस पर नियमानुसार विवरण स्लीप भरकर प्रत्येक कंटेनर पर चिपकाई। प्रत्येंक कंटेनर को अलग–अलग चार मोटे व खाकी रंग के कागज में लपेट कर लपेटे गये कागज के दौनों सिरों को गोंद पर चिपकाकर प्रत्येंक नमूने पर अभिहित अधिकारी एवं मु.चि. एवं स्वा अधिकारी पाली के हस्ताक्षर युक्त चार एक ही नम्बर की पेपर स्लीप आर–1669 प्रत्येक नमूने पर एक पेपर स्लीप एराउण्ड लगाकर प्रत्येंक नमूने पर चार चार उपर नीचें दांये बाये चपडी लगाकर ब्रास सील से सील बंद किया। एवं मौके पर ही मुल्जिम व गवाहों की उपस्थिति में मौका फर्द तैयार कर मौके पर ही मुल्जिम व गवाहों को पढकर सुनाई तथा उनके द्वारा

अति. जिला कलक्टर
बाली (पाली)

CamScanner

मंजुर किये जाने पर मुल्जिम व गवाहों के हस्ताक्षर करवाकर मैनें हस्ताक्षर कियें। एवं दिनांक 14.02.2023 को खाद्य प्रयोगशाला जोधपुर में नमूना संख्या आर–1669 जांच हेतु जमा करवाया गया।

खाद्य विश्लेषक प्रयोगशाला पाली ने नमूना संख्या आर–1669 की रिपोर्ट एल.एस. 246/एक्ट/2023/284 दिनांक 22.02.2023 की जांच रिपोर्ट में पाया गया कि उक्त भैंस का दूध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 एवं नियम, 2011 के निर्धारित मापदण्ड के अनुरुप नहीं है उक्त नमूना अवमानक (Sub-Standard) पाया गया। गैर सायल द्वारा अवमानक (Sub-Standard) प्रकृति का भैस का दूध विक्रय करके एफ.एस.एस.ए. एक्ट 2006 की धारा 26(2)(ii), 26(2)(V) का उल्लंघन किया गया हैं।

आरोपों को सुन व समझकर गैरसायल का कथन है कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा गैरसायल की दुकान मैसर्स विनायक दूध डेयरी कचहरी रोड़ बाली से भैंस के दूध का नमूना जांच हेतु लिया गया जो कि खाद्य विश्लेषक प्रयोगशाला, पाली की रिपोर्ट में अवमानक (Sub-Standard) प्रकृति का पाया गया हैं। गैरसायल द्वारा उक्त भैंस के दूध में जो अनियमितता हुई है वह सहवन से हुई है। उक्त भैंस के दूध की जांच रिपोर्ट में हानिकारक नहीं माना जाकर अवमानक (Sub-Standard) का पाया गया हैं। गैर सायल द्वारा यह त्रुटि सहवन से होने के कारण आरोप को स्वीकार करता है। गैरसायल की प्रथम गलती है जिसके लिये गैरसायल भविष्य में सावधानीपूर्वक देखभाल करके ही कोई प्रोडक्ट का विक्रय करेगा। गैरसायल की यह प्रथम गलती है इसलिए गैरसायल के प्रति नरमरुख रखते अपनाते हुए कार्यवाही की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। गैरसायल के कथनों पर मनन किया गया। खाद्य विश्लेषक प्रयोगशाला पाली ने नमूना संख्या आर–1669 की रिपोर्ट एल.एस. 246/एक्ट/2023/284 दिनांक 22.02.2023 की जांच रिपोर्ट के अनुसार FSSAI Manuals of methods of analysis of Foods, 2016. Milk and Products. के Test में Milk Fat 3.6% पाया गया जबकि निर्धारित मानक अनुसार कम से कम 5.0 प्रतिशत होना चाहिये था। गैर सायल द्वारा अवमानक (Sub-Standard) प्रकृति का दूध उत्पादन एवं विक्रय करना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 व नियम 2011 की धारा 26 की उपरधारा 2(2) के प्रावधानों का उल्लघंन है तथा धारा 51 के तहत शास्ति योग्य हैं।

परिणामस्वरुप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26(2)(2) के तहत् स्वीकार किया जाता है तथा अप्रार्थी द्वारा अवमानक (Sub-Standard) प्रकृति का भैंस का दूध विक्रय करने के कारण इसी अधिनियम की धारा 51 के तहत अप्रार्थी पर 5000/–अक्षरे पांच हजार रुपये की शास्ति आरोपित की जाती है, साथ ही अप्रार्थी को निर्देश दिये जाते है कि व उक्त राशि राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मद "0210–चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य, 04–लोक स्वास्थ्य, 800 अन्य प्राप्तियां, (03) खाद्य सुरक्षा कानुन के अन्तर्गत अनुज्ञापत्र शुल्क आदि" मे जमा करवाकर चालान की प्रति इस न्यायालय में प्रस्तुत करें। इस निर्णय की प्रतिलिपि अप्रार्थी एवं प्रार्थी को वास्ते पालनार्थ भिजवाई जावें।

निर्णय आज दिनांक 01.05.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर बाली (पाली)

(जितेन्द्र कुमार पाण्डे)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बाली, जिला-पाली
न्याय निर्णयन अधिकारी खाद्य
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,बाली

CamScanner